न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 39/22 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/128

अनवान्

1. श्री उदयसिंह पिता रतनसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी आकोदडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री फतहसिंह पिता रतनसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी आकोदडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)

..............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मनोहरसिंह पिता किशनसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी आकोदडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री भोपालसिंह पिता किशनसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी आकोदडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री हिम्मतसिंह पिता किशनसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी आकोदडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री देवीसिंह पिता किशनसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी आकोदडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री पर्वतसिंह पिता किशनसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी आकोदडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज.)

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 27.01.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम आकोदडा, पटवार हल्का बडगांव, तहसील मावली की आराजी नम्बर 107, 113 किता 2 कुल रकबा 1.8777 हेक्टेयर उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगणों के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगणों के स्वतन्त्र खातेदारी की होकर प्रार्थीगण उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग शान्तिपुर्वक करते चले आ रहे है। प्रार्थीगणों द्वारा अपनी खातेदारी व आधिपत्य की आराजी नं. 75,79, 81, 82, 83, 84, 85, 107, 113, कुल किता 9 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा भूमि के च[...]ओं के सीमा की पत्थरगढी कराने हेतु न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) म[...] में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:03 IST
Reason: SelfAttested

भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नं. 51/2020 विविध प्रार्थना पत्र थें। न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24/11/2021 को स्वीकार करते हुए उक्त आराजीयात के चारों दिशाओं की पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया गया था।

2. यह कि न्यायालय के आदेश दिनांक 24/11/2021 की पालना में दिनांक 28/6/2022 राजस्व टीम गठित कर नायब तहसीलदार सनवाड की उपस्थिति में भू अभिलेख निरिक्षिक व पटवारी हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजीयात के चारों दिशाओं की पत्थरगढी हेतु सीमांकन मुताबिक नक्शा शीट के करवाया गया, किन्तु मौके पर आराजी नं. 107, के उत्तरी सीमा पर पुर्वी कोने पर 10 मिटर तथा पश्चिम कोने पर 4 मिटर का अतिक्रमण विपक्षीगणों का पाया गया व आराजी नं. 107 के दक्षिण पुर्वी कोने पर 1.5 मीटर पर विपक्षीगण अपनी आराजी नं. 109 के साथ मिलाकर अतिक्रमण कर रखा है व आराजी नं. 113 के दक्षिण दिशा में पुर्वी कोने पर 3.5 मीटर पर विपक्षीगणों का अपनी आराजी नं. 112 के साथ अतिक्रमण है शेष आराजीयात का नक्शा मौका अनुसार सीमांकन किया गया। इस तरह प्रार्थीगणों की आराजी नं. 107 व 113 पर विपक्षीगणों का कब्जा होना जाहिर किया व विपक्षीगणों को प्रार्थीगणों की उक्त आराजीयात से कब्जा हटाने हेतु कहा गया लेकिन विपक्षीगण मौके से कब्जा हटाने का तैयार नही है व प्रार्थीगणों द्वारा विपक्षीगणों को कही बार प्रार्थीगणों की आराजीयात से कब्जा हटाने हेतु कहा गया लेकिन विपक्षीगणों ने आज दिन तक कब्जा नही हटाया व प्रार्थीगणों से लडाई झगडा करने पर उतारू है। प्रार्थीगणों के खातेदारी की आराजीयात पर विपक्षीगणों का कब्जा होने से प्रार्थीगणों को काफी असुविधा हो रही है। इसलिए प्रार्थीगणों की आराजीयात से विपक्षीगणों का कब्जा हटा प्रार्थीगणों को उक्त आराजीयात का कब्जा दिलाने हेतु कथित वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगणों के स्वतन्त्र खातेदारी की है व प्रार्थीगणों की आराजीयात पर विपक्षीगणों का कोई कानुनी हक व अधिकार नही है व प्रार्थीगणों द्वारा अपनी आराजीयात का सीमांकन कराने पर विपक्षीगणों का उक्त आराजीयात पर कब्जा होना पाया गया है इसलिए विपक्षीगणों का कब्जा हटा प्रार्थीगणों को उक्त आराजीयात का कब्जा सिपुर्द कराया जाना आवश्यक है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर विपक्षीगणों का कब्जा है जिसमें विपक्षीगण तारबन्दी कर तथा पत्थर का पक्का कोट बनाने पर उतारू है इसलिए विपक्षीगणों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराना आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीगणों के खातेदारी की आराजी नं. 107 व 113 पर विपक्षीगण कोई पक्का पत्थर का कोट या तारबन्धी नही करें, न कोई पक्का निर्माण करें, न किसी अन्य को कब्जा सिपुर्द करें, मौके की यथावत स्थिति बनाए रखें। विपक्षीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:03 IST
Reason: SelfAttested

होने से विपक्षीगणों को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से प्रार्थीगणों को भारी क्षति होगी जिसका मुल्याकन रूपयों पैसो में किया जाना संभव नही है। सुविधा सन्तुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगणों के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 28/6/2022 को पैदा हुआ जब विपक्षीगणों का प्रार्थीगणों के खातेदारी की आराजी नं. 107, व 113 का सीमांकन कराने के समय कब्जा विपक्षीगणों का पाया गया व प्रार्थीगणो ने विपक्षीगणों को प्रार्थीगणों की आराजीयात से कब्जा हटाने हेतु कहा तो विपक्षीगणों ने मना कर दिया व लडाई झगडा करने पर उतारू हुए तब पैदा हुआ व पैदा होंकर निरन्तर जारी है।

4. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगणो के पक्ष में व विपक्षीगणों के विरूद्व निम्न आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रार्थीगणों के खातेदारी की आराजी नं. 107 व 113 पर विपक्षीगण कोई पक्का पत्थर का कोट या तारबन्धी नही करें, न कोई पक्का निर्माण कार्य करें, न किसी अन्य को कब्जा सिपुर्द करें, मौके की यथावत स्थिति बनाए रखें ।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का वाद गलत एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से उसमें प्रार्थीगण को कभी भी सफलता नही मिलेगी और प्रार्थीगण का वाद अन्ततः सव्यय खारिज होगा। प्रार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात की चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढ़ी कराने हेतु आप न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसके इस कलम में वर्णित प्रकरण संख्या होकर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2021 को पत्थरगढ़ी के आदेश दिये गये थे। पत्थरगढ़ी का उक्त आदेश प्रार्थीगण ने चालाकी पूर्वक माननीय न्यायालय को अंधरे में रखकर गुमराह करते हुए न्याय के मूलभुत सिद्धान्तो के इतर प्राप्त किया हैं। न्यायालय के पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाने के अनुरूप रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नही की गई है बल्कि हम विपक्षीगण को नुकसान पहुँचाकर प्रार्थी पक्ष को नाजायज तरीके से लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से नायब तहसीलदार सनवाड़, भू अभिलेख निरीक्षक, पटवार हल्का द्वारा न्यायालय के आदेश से परे जाकर न्यायालय आदेश में वर्णित सभी आराजीयात की पत्थरगढ़ी करने की कार्यवाही न कर प्रार्थीगण के कहे अनुसार मनमकसूद ढंग से केवल आराजी नम्बर 107, 113 की पत्थरगढ़ी की मौका रिपोर्ट तैयार कर इन आराजीयात के भू भाग पर विपक्षी पक्ष का अतिक्रमण होने की टिप्पणी कर दी गई। कथित मौका रिपोर्ट में विपक्षी पक्ष का अतिक्रमण होना तो बताया लेकिन किस आराजी के कितने–कितने भाग पर किस–किस विपक्षी पक्ष का अतिक्रमण पाया गया उसके बारे में लेश मात्र भी कथन मौका रिपोर्ट में नही किया। इससे यह रिपोर्ट प्रमाणित है कि पत्थरगढ़ी हेतु गठित टीम ने सीधे तौर पर प्रार्थी पक्ष से प्रभावित होकर गोलमोल तरीके से मिथ्या तरीके से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी पक्ष की इन आराजी पर हमारा अतिक्रमण होना अंकित कर दिया जिससे भी यह मौका रिपोर्ट संदेहास्पद है और इस पर विश्वास किया जाना सम्भव नही हैं। जबकि हम विपक्षीगण के पास प्रार्थीगण की कोई कृषि भूमि नही रही है और इसी वजह से हमने वक्त पत्थरगढ़ी रेवेन्यू एजेन्सी के कर्मचारीयों/अधिकारीयों के समक्ष आपत्ति करते हुए पत्थरगढ़ी से असहमति प्रकट की और कुलिया जमीन का सीमाकंन कराने की बात कहीं। किन्तु रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा इस और कोई ध्यान नही दिया गया और प्रार्थी पक्ष के नाजायज उद्देश्य को पूरा कराने के क्रम में यह मौका रिपोर्ट तैयार कर दी। हम विपक्षीगण हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई भूमियों पर निर्बाध रूप से वर्षो से काबिज चले आ रहे है और प्रार्थीगण की कोई भूमि हमारे पास नही है तो प्रार्थीगण की भूमियों पर हमारा कब्जा होने व हमें कब्जा हटाने हेतु कहने व हम तैयार नही होने का कथन स्वयंमेव निराधार एवं कपोल कल्पित मात्र हैं। प्रार्थी पक्ष के प्रभाव में मनमाने ढंग से पत्थरगढ़ी की उक्त मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने पर हम विपक्षीगण को न्यायालय के उक्त आदेश का ज्ञान हुआ और माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की अपील प्रार्थी पक्ष के विरूद्ध श्री न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 10/23 होकर आगामी पेशी दिनांक 05.08.2024 की नियत हैं। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये पत्थरगढ़ी के आदेश के विरूद्ध विपक्षी पक्ष की और से अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी है जिसका निस्तारण होना शेष है और उक्त विवाद के अंतिम निस्तारण नही होने की प्रार्थीगण हमारे विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नही है, न ही यह प्रार्थना पत्र न्यायालय आपमें चलने योग्य हैं।

6. यह कि प्रार्थीगण की कोई भूमि हमारे कब्जे में नही है, न ही हमने प्रार्थीगण की भूमि पर कभी अतिक्रमण किया है बल्कि हमारे स्वयं के पास हमारी खातेदारी एवं कब्जे की जो जमीन है वह हम विपक्षीगण को हमारे पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है अर्थात हम विपक्षीगण पीढी दर पीढी उक्त कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं और सभी के अलग–अलग पालियां डोलिया बनी हुई है और हमने हमारी भूमियों की सीमा पर पुरानी बाड़ जीर्ण शीर्ण होने से उसके स्थान पर प्रार्थीगण की जानकारी में तारबन्दी करवा रखी है जिसे भी कई साल गुजर चुके हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर हम विपक्षीगण द्वारा कब्जा करने का सवाल ही पैदा नही होता हैं। जिस पत्थरगढ़ी की रिपोर्ट की आड़ में प्रार्थीगण ने यह दावा पेश किया है वह रिपोर्ट प्रार्थीगण ने अपने प्रभाव का फायदा उठाते हुए बनवाई है जो कि किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नही हैं और उक्त पत्थरगढ़ी के आदेश की अपील भी हमारी और से अपीलीय न्यायालय में कर रखी है जो वर्तमान में जेरकार्यवाही हैं [illegible] ज्ञान प्रार्थीगण को हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण न तो हमारे खिलाफ दावा व प्रार्थना पत्र करने का अधिकार रखते है, न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:03 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रार्थना पत्र एवं दावे के जरिए किसी प्रकार की दाद हमसे प्राप्त करने के अधिकारी है।

7. यह कि हम विपक्षीगण तारबन्दी या पत्थर का पक्का कोट बनाने पर उतारू नही है, न ही ऐसी कोई आवश्यकता ही हैं क्योंकि हम विपक्षीगण द्वारा हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई हिस्से कब्जे की कृषि भूमि की सीमाओं पर आज से कई सालों पूर्व ही प्रार्थीगण एवं हर आम व खास की जानकारी में खुले रूप से कासिये के पत्थर खड़े कर तारबन्दी करवा रखी है जो आज भी मौके पर मौजूद हैं और उक्त कृषि भूमि का हम विपक्षीगण नियमित एवं निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है और मौके पर हमने काफी लागत भी लगा रखी हैं जिससे हमारी भूमियां प्रार्थी पक्ष की भूमियों से ज्यादा विकसित होकर उपजाऊ हो चुकी है तथा हम विपक्षीगण गरीब काश्तकार है और वर्षों से शांतिपूर्वक अपनी खातेदारी की कृषि भूमियों पर काश्त कर अपना व अपने परिवारजनों का गुजर बसर कर जीवन निर्वाह करते आ रहे है और उक्त कृषि भूमि हमारी व हमारे परिवार की आय का मुख्य स्त्रोत है। वर्तमान में हमारी जमीने उपजाऊ होने की वजह से प्रार्थीगण लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर इस प्रकार के षडयन्त्र रचकर हमसे हमारी भूमियों को हथियाने के कुप्रयास कर रहे है और हमसे हमारी जमीन हथियाने के मकसद से रोज–रोज नये–नये हथकन्डे अपना रहे है किन्तु प्रार्थीगण को उसमें कोई सफलता प्राप्त नही हुई तो प्रार्थीगण ने रेवेन्यु एजेन्सी के जरिए इस तरह की गलत रिपोर्ट तैयार करवाकर इसकी आड़ में यह झूठा दावा हमारे खिलाफ कर दिया। जबकि प्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण हमारे विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी नही है।

8. यहकि हम विपक्षीगण हमारे मौरूस से विरासत में प्राप्त हुई हमारी कृषि भूमियों पर वर्षों से खुले रूप से नियमित एवं निर्बाध काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है और हमारी भूमियों की सीमाओं पर तारबन्दी की हुई है जो भी वर्षों पुरानी हैं। इन परिस्थितियों में न तो प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का है, न ही सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। ऐसी अवस्था में यदि हमारे खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावेगी तो इससे प्रार्थीगण नाजायज तरीके से हमें हमारी खातेदारी एवं कब्जे अधिकार की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग करने से रोकेगें अथवा दखलन्दाजी कर जबरन कब्जा करने की कोशिश करेगे, नुकसान पहुंचायेगें जिससे हम विपक्षीगण को जो क्षति एवं नुकसान होगा उसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका नही जा सकेगा। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति अथवा असुविधा नही होगी [illegible] हो रही हैं।

9. यहकि प्रार्थीगण ने सभी कथन मिथ्या, मनगढ़न्त एवं बनावटी अंकित किये हैं। प्रार्थीगण को हमारे खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 28.06.2022 को उत्पन्न नही हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने केवलमात्र मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की नियत से मनगढन्त प्रार्थना पत्र कारण अंकित कर झूठा प्रार्थना पत्र किया है जिसमें प्रार्थीगण को कभी भी सफलता प्राप्त नही होगी। प्रार्थीगण को हमारे खिलाफ दावा करने का कोई अधिकार नही हैं। प्रार्थीगण हम विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

10. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला*— प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण द्वारा कब्जा दिलाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है, जमाबंदी के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रथम दृष्टया विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित होना प्रतित नही होता है। अतः प्रार्थीगण खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *अपूरणीय क्षति*— चूंकि वाद वर्णित भूमि के खातेदार प्रार्थीगण है तथा प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि की पत्थरगड़ी करवाई गई। जिसमें कब्जा विपक्षीगण का होने से प्रार्थीगण कब्जा प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया है। यदि प्रार्थीगण की भूमि पर विपक्षीगण बाहुबल से निर्माण कार्य कर देते है या किसी अन्य को कब्जा हस्तान्तरित कर देते है तो प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा साथ ही प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. *सुविधा का संतुलन* — चूंकि वाद वर्णित भूमि के खातेदार प्रार्थीगण है। प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:03 IST
Reason: SelfAttested

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम आकोदड़ा पटवार हल्का बड़गांव तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077 के खाता संख्या 8 पर दर्ज आराजी नम्बर 107 रकबा 0.5099 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 113 रकबा 1.3678 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। विपक्षीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा प्रथम दृष्टया प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि की पत्थरगड़ी करवाई गई। जिसमें विपक्षीगण का कब्जा पाया जाने से प्रार्थीगण द्वारा कब्जा प्राप्त करने एवं विपक्षीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है केवल मात्र कुछ भू भाग पर कब्जा है। उक्त कब्जा विपक्षीगण किसी अन्य को हस्तान्तरित कर देते है तो वाद बाहुल्यता बढेगी या विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण का किसी प्रकार से कोई हित प्रभावित नही होगा। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर विपक्षीगण को इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम आकोदड़ा पटवार हल्का बड़गांव तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077 के खाता संख्या 8 पर दर्ज आराजी नम्बर 107 रकबा 0.5099 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 113 रकबा 1.3678 भूमि में कोई पक्का निर्माण कार्य नही करें, न ही अन्य को कब्जा सिपुर्द करें। मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मुल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:03 IST
Reason: SelfAttested